

**अनुमंडल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार****स्वत्व वाद संख्या 23/23**

योगेंद्र शाह एवं अन्य बनाम रामचंद्र शाह एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
<p><u>26/04/24</u> 29/04/24</p>	<p>वादीगण एवं प्रतिवादिगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है।वादी योगेंद्र शाह की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ दस्तावेज की सूची के साथ याददाश्त पंचनामा बंटवारा की छायाप्रति कुल 6 पेज में प्रस्तुत किया गया है जिसे अभिलेख पर रखा जाता है।प्रतिवादी गण की ओर से लिखित कथन प्रस्तुत किया गया है जिसे ग्रहण किया जाता है।प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 15 मार्च 2024 पर सुनवाई एवं आदेश एक प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदक को संचालित कर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारासमर्पित किया गया है कि वादी के द्वारा अपने वादपत्र में बटवारा दिनांक 18 जनवरी 2021 का जिक्र किया गया है परंतु उक्त याददाश्त पंचनामा बंटवारा प्रतिवादी को प्राप्त नहीं है अतःनिवेदन है कि उक्त याददाश्त पंचनामा बंटवारा को दिलाया जाने की कृपा की जाए।</p> <p>प्रतिवादी गण की ओर से प्रति उत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि वादी के द्वारा आज याददाश्त पंचनामा की प्रति प्रस्तुत कर दिया गया है अतःप्रतिवादी का आवेदन खरीज किए जाने योग्य।</p> <p>उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा अपने अभिवचन में याददाश्त पंचनामा बटवारा दिनांक18 जनवरी 2021 का उल्लेख किया गया है जिसकी प्रति आज वादी की ओर से प्रतिवादी को प्राप्त करा कर प्रस्तुत किया गया है तब तक प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन को निष्पादित किया जाता है। वाद दिनांक 20/05/24 वास्ते धारा 89 दिवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निपटारे हेतु नियत।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित-</p> <p style="text-align: center;">असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी</p>	